नगर पंचायत देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान अहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहे :–

अध्यक्ष :–

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनीता कुमारी	1.4.11 से 31.3.13

सचिव :–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल	01.04.11 से 23.10.11
2	श्री जगपाल सिंह	24.10.11 से 15.3.13
3	श्री के0एल0 ठाकुर	25.3.13 से 31.3.13

(ख) <u>नगर पंचायत देहरा के लेखा अवधि 04/2011 से 03/2013 में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सार</u> :–

क्रमांक	पैरा संख्या	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1.	5 (ii)	दिनांक 31.3.2013 के अप्रयुक्त अनुदान राशि	45.60
2.	6 (i)	गृहकर वसूली हेतु शेष	13.21
3.	6 (ii)	गृह कर निर्धारित दरों से अधिरोपित न करने के कारण आर्थिक हानि	43.06
4.	7	दुकानों के किराए की वसूली न करना।	17.10
5.	8	दिनांक 31.3.2013 को व्यवसायिक कर वसूली हेतु शेष	1.31
6.	12	संविदाकार से पार्किंग फीस वसूल न करना	11.91
7.	16	कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	.96
8.	17	कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान।	.88
9.	18	पैन्शन व उपदान खातों में कम राशि जमा करवाना	19.01
10.	20	निर्माण कार्यो के बिलों से प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	1.08
11.	21	संविदाकारों के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती न करना।	.28

(ग) <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन</u> :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ङ"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण/निपटारा सम्भव हो सके।

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत देहरा के लेखों अवधि 04/11 से 03/13 तक का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 19.8.13 से 11.9.13 तक नगर पंचायत देहरा में किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है। विस्तृत जॉच हेतु निम्नलिखित मांसों का चयन किया गया है।

आय :– 08/11 व 11/12

व्यय :– 5/11 व 3/13

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत देहरा के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत सचिव द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत देहरा के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹22000/–आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क हेतु नगर सचिव पंचायत देहरा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156 दिनांक 11.9.2013 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को भेजने का अनुरोध किया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है।

4 वित्तीय स्थिति :–

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय की स्थिति का विवरण सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार **परिशिष्ट–"क"** पर संलग्न हैं रोकड़ बही का बैंक से समाधान का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"ख"** व

दिनांक 31.03.2013 को बैंक में निवेश की गई राशि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"ग"** पर संलग्न है।

5 <u>अनुदानः–</u>

अवधि 1.4.2011 से 31.3.2013 तक सरकार से प्राप्त/व्यय अनुदान राशियों का **परिशिष्ट "छ"** पर विस्तार से दिया गया है।

(i) अनुदान राशि ₹4560028/– को निर्धारित समयावधि में व्यय न करनाः–

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 में नगर पंचायत देहरा में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ₹9870567/– विभिन्न अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए है जिनमें से नगर पंचायत देहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय हेतु उपलब्ध राशि ₹13837783/– में से ₹9277755/– ही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय किए गए। फलस्वरूप विभिन्न ऐजेन्सियों से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राशि में से ₹4560028/– दिनांक 31.3.13 तक व्यय हेतु शेष है अनुदान राशि को निर्धारित समयावधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जोकि नगर पंचायत देहरा की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। दिनांक 31.3.13 को व्यय हेतु शेष अनुदान राशि का विवरण निम्नलिखित है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय अनुदान राशि	अपव्यय/व्यय हेतु अनुदान राशि
2011–12	3471631	8173033	11644664	7677448	3967216
2012–13	3967216	9870567	13837783	9277755	4560028

उपरोक्त अनुपयुक्त राशि ₹4560028/–का व्यय नियमानुसार समयवध किया जाए अन्यथा इन राशियों को सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–2012 में अनुदानों से प्राप्त राशि ₹8173033/– व गत शेष ₹3471631/– कुल ₹11644664/– में से ₹7677448/– ही व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदानों के रूप में व्यय हेतु शेष राशि ₹13837783/–में से ₹9277755/– निर्धारित उद्देश्यों पर व्यय किए दर्शाए गए है व अनुदानों के रूप में दिनांक 31.3.13 को ₹4560028/– व्यय हेतु शेष लेकिन प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात 2011–12 व 2012–13 में प्राप्त प्रत्येक अनुदान राशि का अनुदान रजिस्टर में दर्ज न करना व तदोपरान्त प्राप्त अनुदान राशि को उसी निर्धारित उद्देश्य पर व्यय करने सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की सकी। वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 मे ंप्राप्त अनुदान राशियों में से व्यय दर्शाई गई अनुदान राशि ₹16955203/– (7677448+9277755) का उपयोग उन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय किया गया है जिन उद्देश्यों हेतु उक्त अनुदान राशियां प्राप्त हुई है। अतः वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 में प्रत्येक प्राप्त अनुदान का अनुदान रजिस्टर में क्रमानुसार दिनांक वार व उद्देश्य का इन्द्राज व उसमें से व्यय की गई राशि का विवरण, माप पुस्तिका संख्या, पेज नम्बर व वाऊचर संख्या व माह इत्यादि का इन्द्राज अनुदान प्राप्ति एवं व्यय रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि अनुदानों से किए गए व्यय की सत्यापना सम्भव हो सके।

(iii) अनुदान राशि ₹9975827/– को अनुदान रजिस्टर में दर्ज न करना तथा अधिकतम अनुदान राशि को अनियमित रूप से वेतन एव ंभत्ते पर व्यय करनाः–

अनुदान रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग व तीसरे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित वाऊचर संख्या, माह/दिनांक, व्यय की गई राशि का ब्यौरा उद्देश्य, माप पुस्तिका, रजिस्टर में दर्ज किया गया। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 में जिन, अनुदानों को अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पत्रसं0 व दिनांक	अनुदान की प्रकृति	अनुदान राशि	स्वीकृति प्रदान कर्ता विभाग
1	यू0डी0–एच(सी)(2)–1 / 2008–III 7227–75 दिनांक 31.3.11	13th वित्तायोग	14348	निदेशक, शहरी विकास विभाग
2	पत्र संख्या –यथोपरि– क्रमांक 11172 से 11220 दिनांक 2.6.11	–यथोपरि–	619750	–यथोपरि–
3	यू0डी0–एच(सी)(10)–1 / 2011–13035 से 13086 दिनांक 2.6.11	3rd राज्य वित्त आयोग	562987	निदेशक, शहरी विकास विभाग
4	पत्र संख्या –यथोपरि– क्रमांक 21056 से 21107 दिनांक 6.9.11	–यथोपरि–	3222269	–यथोपरि–
5	यू0डी0–एच(सी)(2)–1 / 2008–III 27378 से 27430 दिनांक 17.12.11	13th वित्त आयोग	619750	–यथोपरि–
6	पत्र संख्या –यथोपरि– क्रमांक 12344 से 12396	–यथोपरि–	530400	–यथोपरि–
7	यू0डी0–एच(सी)(10)–1 / 2012–188076 से 189002 दिनांक 31.11.12	3rd राज्य वित्त आयोग	1982845	–यथोपरि–
8	पत्र संख्या –यथोपरि– क्रमांक 18876 से 18902	–यथोपरि–	2423478	–यथोपरि–
		कुल योग	**9975827**	

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि अनुदान रजिस्टर में दर्ज न की गई कुल राशि ₹9975827 / – में से ₹8191579 / – तीसरे राज्य वित्त आयोग से व ₹1784248 / – तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त हुए है। तीसरे राज्य वित्त आयोग से जो अनुदान ₹8191579 प्राप्त हुए है

वह केवल तीन उद्देंश्यों (i) सम्पत्तियों का रख रखाव (ii) संवैधानिक कार्यो का निर्वाहन (iii) चयनित सदस्यों को पारिश्रमिक पर ही व्यय किए जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित आयोग से प्राप्त ₹1784248/– में से केवल ₹356850/– ही वेतन एवं भत्तें पर व्यय की जा सकती थी। नगर पंचायत देहरा द्वारा तीसरे राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उक्त अनुदान ₹9975827/– जारी की गई थी, उन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उक्त राशि व्यय न करके अनुदान राशि मे ंसे अधिकतम राशि नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ही व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 में वेतन एवं भत्तों पर क्रमशः ₹6633002/– व ₹6445376/– कुल ₹13078378/– व्यय किए है व वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 में स्वयं के स्त्रोतों से नगर पंचायत को क्रमशः ₹3042575 व ₹4105618 कुल ₹7148193 की आय प्राप्त हुई। फलस्वरूप नगर पंचायत देहरा में वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 मे ंस्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त कुल आय ₹714193 के विरूद्ध नगर पंचायत अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹13078378/– व्यय करना अर्थात स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त आय से ₹5930185 अधिक व्यय किए गए है जो स्वतः परिलक्षित करता है कि तेरहवें वित्त आयोग व तीसरे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियो क्रमशः ₹1784248 व ₹8191579 ₹9975827 केवल नगर पंचायत देहरा के अधिकारियों व कर्मचारियो ंके वेतन एवं भत्तों पर अनियमित तरीके से खर्च की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः उक्त गम्भीर प्रकरण शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्यवाही करने के प्रयोजन से लाया जाता है।

(iv) अनुदान रजिस्टर में दर्शाए गए व्यय व अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार ₹1261866/– अन्तरः–

अनुदान रजिस्टर अनुसार किए गए व्यय व अंकेक्षण में व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं अनुसार ₹1261866/– का अन्तर पाया गया है। विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अनुदान रजिस्टर में दर्ज व्यय व प्रदान की गई सूचनाओं में दर्शाए गए व्यय के अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाए व अनुदान राशि के प्राप्ति व व्यय से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार उचित प्रकार करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Sanctioning authority of purpose	Total sanction Amount	Date of Receipt	Amt. shown spent as per grant Register 2012-13	Amt. shown spent as per information during 2012-13	Difference
1	XEN, IPH Severage	1551432	8.4.11	253073	818294	565221
2	Director, UD Rain Damage	288100	30.9.11	245477	288100	42623
3	Director, UD, maintenance of ULB Road in Dehra	599397	15.12.11	347186	599397	252211
4	D.C. Kangra C/O path from main road to sachin walia house	75000	30.5.12	70004	75000	4996
5	D.C. Kangra C/O Pucca yard in front of Advocate chamber Dehra	200000	21.7.12	125885	200000	74115
6	D.C. Kangra C/O stadium	1727000	16.1.13	Nil	172700	172700
7	DC Kangra C/O Shamshanghat	150000	19.912	Nil	150000	1500000
					Total	**1261866**

6 6.1 **गृहकर ₹1302102/– वसूली न करनाः–**

दिनांक 31.3.13 को गृहकर के रूप में ₹1302102/– संलग्न **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार वसूली हेतु शेष थी। वसूली हेतु अत्याधिक मात्रा में शेष रहना, नगर पंचायत की गृहकर की वसूली की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि गृहकर की वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए, ताकि गृहकर की सम्पूर्ण वसूली सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–(एच)(ए)

(7)—1/84—9237 से 9284, दिनांक 20.6.01 के अनुसार करों की शत प्रतिशत की वसूली न करने की अवस्था में सम्बन्धित सचिव को उतरदायी ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार यदि कोई राशि, टैक्स, शुल्क म्यूनिसिपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति की चल सम्पत्ति को बेचकर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। इसके बावजूद भी नगर पंचायत देहरा द्वारा गृहकर की सम्पूर्ण वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए है जिसके कारण गृहकर के रूप में 31.3.13 को ₹1302102/— वसूलने हेतु शेष थे। राशि का सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। अतः नगर पंचायत समयवद्ध तरीके से शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

6.2 गृहकर का निर्धारण दरों पर अधिरोपित न करने के कारण ₹430667/— राजस्व की अप्रत्याशित हानिः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0—एच(सी) (10)—7/98 दिनांक 17.11.03 के अन्तर्गत वित्त राज्य आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृहकर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	**गृहकर की प्रतिशतता**
2002—2003	7.5%
2003—2004	8.5%
2004—2005	10%
2005—2006	11.5%
2006—2007	12.5%

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर पंचायत देहरा द्वारा लगभग 6 वर्ष बाद भी गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2009—10, 2010—11, 2011—12 व 2012—13 में 7½**%** की दर से की गइ्र है व गत 10 वर्षों से कभी भी उक्त प्रतिशतता नहीं बढ़ाई गई है। इस प्रकार नगर पंचायत देहरा को वित्तीय 2009—10 से 2012—13 के दौरान केवल 4 वर्षों में ही लगभग ₹430667 ⁄— की आय की हानि हुई है। निर्धारित दरों से गृहकर वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	**7½% से गृहकर की गणना**	**12½% की दर से गृहकर की गणना**	**अन्तर**
2009—10	192777	321295	128518
2010—11	143933	239888	95955
2011—12	142463	237438	94975
2012—13	166828	278047	111219
		योग	**430667**

अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत देहरा द्वारा गृहकर का निर्धारण 12½**%** की दर से करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय की बढ़ौतरी सम्भव हो सके व नगर पंचायत में अधिक से अधिक विकासात्मक कार्य करवाये जा सके।

6.3 द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर की दर 12½% न करने के कारण गत वर्षों की 25% राशियां प्राप्त न होनाः—

शहरी विकास विभाग, के पत्र संख्याः यू0डी0—एच(सी) (10)—7 ⁄ 98—II दिनांक 05.08.04 के अनुसार द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप गृहकर की दर वार्षिक मूल्य के आधार पर 7½**%** की दर से 12½**%** के बीच निर्धारित की जानी अपेंक्षित थी व वित्तीय वर्ष 2006—07 में 100**%** अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006—07 तक गृहकर की दर 12½**%** की जानी अनिवार्य थी, ताकि 7½**%** की दर से जिन—जिन वर्षों

में गृहकर वसूला गया है उन वित्तीय वर्षों में अनुदान के रूप में 25**%** कम अनुदान राशि 2006–07 में प्राप्त की जानी सम्भव हो सके। नगर पंचायत देहरा द्वारा 9 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी निदेशालय, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की उक्त पत्र में दिए गए स्पष्ट निर्देशों की अनुपालना नहीं की है जिसके फलस्वरूप गत वर्षों में 25**%** कम प्राप्त हुई अनुदान राशि अभी तक नगर पंचायत देहरा को प्राप्त नहीं हो सकी है। 25**%** अनुदान राशि प्राप्त न होने हेतु नगर पंचायत देहरा स्वयं उतरदायी है। अतः सुझाव दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में गृहकर का आंकलन वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप 12½**%** की दर से किया जाए व तदोपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि गत वर्षों में अनुदान के रूप में 25**%** कम प्राप्त राशि को प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

6.4 गृहकर की अदत राशि ₹3900/– को आगामी वर्ष के आरम्भिक शेष में न उठानाः–

(i) गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि जगत राम, घर संख्या–5, वार्ड नम्बर–4 का वित्तीय वर्ष 2011–12 का बकाया देय गृहकर के रूप में ₹3600/– अन्तिम शेष था लेकिन वित्तीय वर्ष 2012–13 की गृहकर की मांग में आरम्भिक शेष के रूप में केवल ₹1800/–ही उठाया गया है। परिणामस्वरूप ₹1800 कम आरम्भिक शेष उठाया गया है। इसी प्रकार श्री रविन्द्र कुमार मेहरा, घर संख्या–2, वार्ड नम्बर–6 का वित्तीय वर्ष 2010–11 का बकाया देय गृहकर के रूप में ₹300/– अन्तिम शेष था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2011–12 में गृहकर की मांग में उक्त राशि का आरम्भिक शेष में नही उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री हेम राज, सुपुत्र श्री मद्दर राम, घर संख्या 22, वार्ड नम्बर–5 का वित्तीय वर्ष 2011–12 का गृहकर अन्तिम बकाया देय राशि ₹1800/– थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2012–13 के गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर में ₹1800/– की प्रविष्टि नहीं की गई अर्थात ₹3900/– (1800+300+1800) को गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया यह अनियमित है। अतः इसे बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व तदानुसार उक्त व्यक्तियों के देय गृहकर को गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर में दर्ज करने उपरान्त पिछला बकाया देय गृहकर

व आगामी वित्तीय वर्षों की मांग को जोड़ने उपरान्त, सम्पूर्ण गृहकर की राशि की वसूली सम्बन्धित गृहकरदाता से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **<u>₹1710976 / – किराए की वसूली न करनाः–</u>**

दिनांक 31.3.2013को नगर पंचायत द्वारा दुकानदारो से किराये के रूप में ₹1710976 / – वसूली हेतु शेष थे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है। हिमाचल प्रदेश म्यूनिनिसपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स, शुल्क म्यूनिसिपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258, उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत / नगर परिषद / नगर निगम को भुगतान नहीं करता है, तब सम्बन्धित सचिव कर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा। उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। अतः नगर पंचायत शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

8 **व्यवसायिक करके रूप में दिनांक 31.3.13 तक ₹131660 / – वसूली हेतु शेष व वित्तीय वर्ष 2012–13 का व्यवसायिक कर मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार न करनाः–**

दिनांक 31.3.13 को व्यवसायिक कर के रूप में ₹131660 / – संलग्न **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार वसूली हेतु शेष थी। वसूली हेतु अत्याधिक मात्रा में शेष रहना, नगर पंचायत देहरा की व्यवसायिक कर की वसूली की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि वयवसायिक कर की वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए, ताकि व्यवसायिक कर की सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)(7)–1 / 84–9237 से 9284, दिनांक 20.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत की वसूली न करने की अवस्था से सम्बन्धित सचिव को उतरदायी ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स, शुल्क

म्यूनिसिपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है। तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति की चल सम्पति को बेचकर देय राशि सभी खर्चो व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति को वारंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत देहरा द्वारा व्यवसायिक कर वित्तीय वर्ष 2012—13 का मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2012—13 का व्यवसायिक कर मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **<u>वित्तीय वर्ष 2012—13 में शराब उप कर की वसूली न करनाः—</u>**

वितीय वर्ष 2012—13 हेतु शराब उपकर की वसूली नियमानुसार आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं की गई। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित विभाग के साथ गम्भीरता से उठाया जाए तथा अपेक्षित राशि वसूल करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में बिजली उपकर की वसूली न करनाः—**

वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में बिजली कर की वसूली सम्बन्धित विभाग से नहीं की है। अतः बिजली विभाग से बिजली उपकर की अपेक्षित राशि की प्राप्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **बस अडडा व पार्किंग का ठेका कम दरों पर नीलाम करने के कारण ₹271500/— की वित्तीय हानिः—**

वित्तीय वर्ष 2011—12 में बस अडडा व पार्किंग का ठेका श्री संदीप कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह को ₹2372000/— में नीलाम किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2012—13 में उक्त

बस अडडा एवं पार्किंग का ठेका ₹2100500/– में श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री अमर सिंह को दिया गया। गत वर्षों में प्राप्त आय को नजर अन्दाज करके वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹2100500/– में उक्त ठेका नीलाम कर दिया गया है। यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत देहरा को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹271500/– की सम्भावित वित्तीय हानि हुई है। इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

12 ठेकेदार से ₹1191600/– की वसूली न करनाः–

बस अडडा व पार्किंग का ठेका वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु निविदाओं के आधार पर ₹2372000/– में श्री सन्दीप कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह ठेकेदार को दिया गया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा निर्धारित किश्त की राशि जमा न करवाने के कारण दिनांक 31.3.12 तक ₹1141500/– व विलम्ब दण्ड शुल्क ₹100 प्रतिदिन की दर से 16.11.11 से 31.3.13 तक 501 दिनों हेतु ₹50100/– कुल ₹1191600 वसूली करने हेतु शेष है। अनुबन्ध की शर्त 10 के अनुसार किश्त की राशि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा करवानी अनिवार्य थी व तदोपरान्त देरी हेतु ₹100 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाना व 30 दिन उपरान्त ठेका/अनुबन्ध रदद करना अनिवार्य था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा किश्तों की राशि की समय पर जमा न करवाने के कारण न तो अनुबन्ध की धारा 10 के अनुसार समय पर उक्त ठेकेदार का ठेका रदद किया गया व न ही विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला गया। परिणामस्वरूप उक्त ठेकेदार से ₹1772000/– वसूलने हेतु शेष है। अगर प्रतिभूति ₹50000/– व 1/4 अग्रिम ₹580500/– को भी समायोजित कर लिया जाए, तब भी उक्त ठेकेदार से 31.3.12 को नीलामी राशि ₹1141500/– व 16.11.11 से 31.3.13 तक 501 दिनों हेतु विलम्ब दण्ड शुल्क ₹50100/– कुल ₹1191600/– वसूली हेतु शेष है। नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त राशि वसूलने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही न करना नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि अगर नगर पंचायत ठेके निविदा की शर्तों के अनुसार दो स्थानीय लोगों जिनके नाम चल व अचल सम्पत्ति हो सके ठेके के बराबर मूल्य की गारन्टी ली होती तो तब उक्त राशि आसानी से भी वसूली जा सकती थी लेकिन नगर पंचायत अधिकारियों निविदा की शर्तों की अवहेलना करते हुए उक्त महत्वपूर्ण शर्त की अनदेखी करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार से अनुबन्ध करने से पूर्व किसी की भी गारन्टी नहीं ली

गई। इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए इसके अतिरिक्त उक्त राशि को सम्बन्धित ठेकेदार से वसूलने हेतु प्रभावी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए व बकाया राशि को वसूल करके पंचायत खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 <u>₹250625/– ठेकेदार से वसूल न करनाः–</u>

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु बस अडडा पार्किंग का ठेका ₹2150100/– में श्री जनक राज गुलेरिया सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी देहरा को दिया गया व अनुबन्ध की शर्तों/धाराओं के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार निर्धारित समय प्रतिमाह की 5 तारीख तक किश्त की राशि जमा न करवाने की अवस्था में ₹50 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाना अनिवार्य था। जॉच के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार ने समय–2 पर किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप संविदाकार से ₹775100/–' दिनांक 31.3.13 तक वसूलने हेतु शेष है। अगर उक्त संविदाकार द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति ₹25000/– व निविदा राशि की 1/4 ₹537525/– कुल ₹562525/– को भी समायोजित कर लिया जाए तब भी दिनांक 31.3.11 तक सम्बन्धित ठेकेदार श्री जनक गुलेरिया से नीलामी के ₹212575/– व ₹50 प्रतिदिन की दर से दो वर्ष एक माह (1.3.11 से 31.3.13) हेतु ₹38050/– (761X50) विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में कुल ₹250625/– वसूली हेतु शेष है लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से वसूलने हेतु दो वर्षों के दौरान प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है व नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त राशि नियमानुसार ठोस कार्रवाई करके विलम्ब दण्ड शुल्क सहित अविलम्ब वसूल करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 <u>₹37200/– संविदाकार से वसूल न करनाः–</u>

श्री नरेश कुमार ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बस अडडा पार्किंग का ठेके ₹2286800/–में लिया गया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप किश्त राशि निर्धारित समय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा न करवाने के कारण ₹50/– प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में सम्बन्धित ठेकेदार से 744 दिनों हेतु ₹50 प्रतिदिन की दर से ₹37200/–

वसूलने शेष थे। लेकिन नगर पंचायत द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप विलम्ब दण्ड शुल्क वसूलने हेतु 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है, जोकि अनुबन्ध की शर्तों की गम्भीर अवहेलना है। अतः सम्पूर्ण उक्त राशि वसूलने हेतु नियमानुसार तुरन्त प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व राशि को वसूल करके नगर पंचायत में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 सफाई का ठेका उच्च दरों पर देने के कारण ₹139500/– की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत देहरा में कुल 7 वार्ड है। उक्त वार्डों का सफाई का ठेंका वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ₹275000/– व 2012–13 में ₹442000/– में श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम निवासी देहरा को दियास गया है। दोनों वित्तीय वर्षों में उक्त संविदाकार द्वारा 7 सफाई कर्मचारी 7 वार्डो हेतु प्रति वार्ड एक सफाई कर्मचारी रखे गए है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उक्त सफाई ठेका ₹167000/– अर्थात 60.72**%** वृद्धि के साथ ₹442000/– में उक्त संविदाकार को आंबटन किया गया यह तर्क संगत प्रतीत होता है। नियमानुसार गत वर्ष की ठेका राशि में 10**%** की वृद्धि करने उपरान्त अधिकतम ₹302500/– (275000+27500) तक ही उक्त सफाई का ठेका सम्बन्धित ठेकेदार को दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों वित्तीय वर्षों में सफाई कर्मचारियों की संख्या 7 व सफाई वार्डों की संख्या बराबर है व वित्तीय वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 में लेबर दरों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य था। अतः नगर पंचायत देहरा द्वारा वित्तीय नियमों की व मजदूरी में हुई वृद्धि की अनदेखी करते हुए उच्च दरों पर देने के कारण नगर पंचायत देहरा को ₹139500 (442000–302500) की वित्तीय हानि हुई है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस के अतिरिक्त यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत देहरा में 7 सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर तैनात है। यह कार्य नियमित सफाई कर्मचारियों से भी करवाया जा सकता था। अतः 7 वार्डों हेतु 7 सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर कार्यरत्त होने के बावजूद इन वार्डों के सफाई का ठेके पर दिया जाने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 **कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹96210/– का अधिक/अनुचित भुगतानः–**

निम्नलिखित कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹96210/– का अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	देय वेतन व ग्रेड पे	दिया गया वेतन व ग्रेड पे	अन्तर	मंहगाई भत्ता/दर	अवधि	महीनों की सं0 व राशि	वसूली योग्य राशि
1	श्री ध्यान सिंह, कनिष्ठ सहायक	19430	19870	440	224@51%	1.1.11 से 30.6.11	6x664	3984
		19430	19870	440	255@58%	1.7.11 से 30.12.11	6x695	4170
		20020	20470	450	293@ 65%	1.1.12 से 30.6.12	6x743	4458
		20020	20470	450	324@72%	1.7.12 से 30.9.12	3x774	2322
		20020	21090	1070	770@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x1840	5520
		20620	21730	1110	799@72%	1.1.13 से 28.2.13	2x1909	3818
							योग	**24272**
2	श्री रत्न चन्द, बेलदार	6740	6790	50	23@45%	1.7.10 से 31.12.10	6x73	438
		6740	6790	50	26@51%	1.7.11 से 30.6.11	6x76	456
		6920	7000	80	46@58%	1.7.11 से 30.11.11	5x126	630

							योग	**1524**
3	श्री विजय सिंह, लिपिक	11410	11460	50	29@58%	1.8.11 से 31.12.11	5x79	395
		11410	11460	50	33@65%	1.1.12 से 30.6.12	6x83	498
		11410	11460	50	36@72%	1.7.12 से 31.7.12	1x86	86
		11700	11760	60	43@72%	1.8.12 से 30.9.12	2x103	206
							योग	**1185**
4	कुलभूषण, टोल गार्ड	9910(8260 +1650)	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200 (8550+1650)	11070	870	626@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
5	स्वर्णा देवी, चपड़ासी	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	626@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
6	राज कुमार, चपड़ासी	10670 (9020+1650)	10950	280	202@72%	1.10.12 से 31.3.12	6x482	2892
7	राज कुमार, चौकीदार	9630	9890	260	187@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x447	1341
		9630	9940	310	223@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x533	1599

							योग	**2490**
8	गोपाल दास, कार्य पर्यवेक्षक	11420	11710	290	209@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x499	2944
9	कुलदीप चन्द, मिस्त्री	9080	9360	280	202@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x482	2892
10	सुखदेव, बेलदार	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	262@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
11	मनोहर लाल, बेलदार	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	262@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
12	राकेश कुमार, बेलदार	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	262@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
13	हेम राज, बेलदार	7560	7780	220	158@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x378	2268
14	राजेन्द्र कुमार, बेलदार	7560	7780	220	158@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x378	2268
15	करतार सिंह, बेलदार	7560	7780	220	158@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x378	2268

16	नारायणी देवी, सफाई कर्मचारी	12080	12400	320	230@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x550	3300
17	बिमला देवी, सफाई कर्मचारी	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	262@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
19	शक्ति चन्द, सफाई कर्मचारी	9910	10120	210	151@72%	1.10.12 से 31.12.12	3x361	1083
		10200	11070	870	262@72%	1.1.13 से 31.3.13	3x1496	4488
							योग	**5571**
20	ऊषा देवी, सफाई कर्मचारी	7560	7780	220	158@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x378	2268
21	प्रीतम चन्द, ड्राईवर	9970	10270	300	216@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x516	3096
22	राकेश कुमार, सफाई कर्मचारी	9630	9930	300	216@72%	1.10.12 से 31.3.13	6x516	3096
				क्रम संख्या 1 से 22 तक का कुल योग				**96210**

अतः गलत वेतन निर्धारण करने के कारण कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान ₹96210/– की वसूली अविलम्ब सम्बन्धित कर्मचारियों के करके नगर पंचायत खाते में अभिलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 कर्मचारियों को वाहन भतो के रूप में ₹88000/– का अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित 21 कर्मचारियों जिसमें 8 सफाई कर्मचारी, 7 बेलदार, 1 मिस्त्री, 2 चपड़ासी, 1 चौकीदार, 1 टोल गार्ड व 1 ड्राईवर को अवधि 1.1.2006 से 31.3.2013 तक ₹50/– प्रतिमाह वाहन भता के रूप में ₹88000/– का भुगतान किया गया जो नियमानुसार देय नहीं है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित तरीके से

₹88000/– भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यदि 1.1.06 से पूर्व में वाहन भत्ते का भुगतान इन कर्मचारियों को किया गया हो तो उसकी वसूली भी सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम**	**पद**	**अवधि**	**कुल मास**	**प्रति माह**	**वसूली योग्य राशि (₹)**
1	श्री सुखदेव	बेलदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
2	श्री मनोहर लाल	बेलदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
3	श्री राकेश कुमार	बेलदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
4	श्री ज्ञान चन्द	बेलदार	1.1.06 से 31.11.11	70	50	3500
5	श्री हेम राज	बेलदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद	बेलदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
7	श्री रत्न चन्द	बेलदार	1.1.06 से 31.12.11	71	50	3550
8	श्री करतार चन्द	मिस्त्री	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
9	श्रीमती नारायणी देवी	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
10	श्री ओम प्रकाश	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
11	श्री राज सिंह	सफाई	1.1.06 से	86	50	4300

		कर्मचारी	31.3.13			
12	श्रीमती बिमला देवी	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
13	श्रीमती शारदा देवी	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.12.11	71	50	3550
14	श्री शक्ति चन्द	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
15	श्रीमती ऊषा देवी	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
16	श्री प्रीतम चन्द	ड्राईवर	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
17	श्री राकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
18	श्री कुलभूषण	टोल गार्ड	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
19	श्रीमती स्वर्णा देवी	चपड़ासी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
20	श्री राज कुमार	चपड़ासी	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
21	श्री राज कुमार	चौकीदार	1.1.06 से 31.3.13	86	50	4300
					योग	**88000**

18 <u>पैन्शन व उपदान के खाते में अवधि 9/09 से 3/13 तक ₹1901445/– कम जमा करनाः–</u>

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच0(वी0) 102/2000–16394 से 16442 दिनांक 20.12.03 के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत/नगर पालिका के कुल स्वीकृत पदो ंके अधिकतम वेतनमान के 12**%** व 5**%** के बराबर राशि पैन्शन

व उपदान खाते में जमा करवाई जानी अपेक्षित है लेकिन नगर पंचायत देहरा द्वारा निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छानुसार निर्धारित राशि ही पैन्शन निधि में जमा करवाई गई है पैन्शन व उपदान निधि की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 9/09 से 3/13 तक के दौरान उक्त निधि के खाते में नगर पंचायत देहरा में स्वीकृत पदो ंके अधिकतम वेतनमान का 12% पैन्शन अंशदान व 5% उपदान अंशदान जमा न करवाकर स्वेच्छानुसार कम राशि जमा करवाने के कारण उक्त अवधि के दौरान पैन्शन निधि में ₹1901445/– कम जमा करवाए गए है। कम जमा करवाई गई राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**पदनाम**	**स्वीकृत पदों की सं0**	**वेतनमान**	**प्रतिमाह जमा करवाने योग्य राशि अधिकतम वेतनमान का पैन्शन व उपदान 12% व 5% कुल 17% हिस्सा**
1	सचिव	1	10300–34800	5916
2	कनिष्ठ सहायक	1	10300–34800	5916
3	लिपिक	2	10300–34800	11832
4	कनिष्ठ अभियन्ता	1	10300–34800	5916
5	कार्य पर्यवेक्षक	1	5910–20200	3434
6	मिस्त्री	2	5910–20200	6868
7	चपड़ासी	2	4900–10680	3632
8	चौकीदार	1	4900–10680	1816
9	बेलदार	9	4900–10680	16344
10	सफाई कर्मचारी	13	4900–10680	23608
11	सफाई पर्यवेक्षक	1	5910–20200	3434
12	समुदायिक संस्थापक	1	5910–20200	3434
13	चालक	1	5910–20200	3434
14	टोल गार्ड	1	4900–10680	1816

	योग	97400
(1)	अवधि 9/09 से 3/13 तक 43 महीने के दौरान ₹97400/– प्रतिमाह की दर से पैन्शन व उपदान खाते में जमा करवाने योग्य राशि (97400X43)	4188200

(ii) अवधि 9/09 से 3/13 तक 43 महीनों के दौरान पैन्शन व उपदान खाते में जमा करवाई गई राशि

क्र0सं0	**अवधि**	**महीनों की सं0**	**जमा करवाई गई राशि (₹)**
1	9/09 से 12/09	4	21107x4=84428
2	1/10 से 2/10	2	42161x2=84322
3	3/10 से 8/10	6	45697x6=274182
4	9/10 से 1/12	17	43661x17=742237
5	2/12 से 3/13	14	78684x14=1101576
		कुल योग	**2286755**
	कम जमा करवाई गई राशि (i-ii)		**₹1901445**

अतः पैन्शन व उपदान निधि में उपरोक्त उल्लेखित ₹1901445/– कम जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कम जमा करवाई गई राशि को पैन्शन व उपदान निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 सामान्य व अंशदान भविष्य निधि खातों में प्रविष्टियां न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा निमनलिखित अवधि तक सामान्य भविष्य निधि व अंशदान भविष्य निधि के खातों में जमा करवाई गई राशि व निकाली गई राशि की प्रविष्टियां दर्ज नहीं है। अतः सभी व्यक्तिगत खातों में वांन्छित प्रविष्टियॉ करने के उपरान्त सत्यापना हेतु अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(i) सामान्य भविष्य निधि खातों का विवरणः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रविष्टियां दर्ज न करने की अवधि
1	श्री कुलभूषण	टोलगार्ड	7/11 से 3/13 तक
2	श्री हरवंश लाल	कनिष्ठ अभियन्ता	10/10 से 3/13 तक
3	श्री गोपाल दास	कार्य पर्यवेक्षक	4/11 से 3/13 तक
4	श्री करतार चन्द	मिस्त्री	4/11 से 3/13 तक
5	श्री सुखदेव	बेलदार	4/12 से 3/13 तक
6	श्री मनोहर लाल	बेलदार	4/11 से 3/13 तक
7	श्री राकेश कुमार	बेलदार	4/11 से 3/13 तक
8	श्रीमती नारायणी देवी	सफाई कर्मचारी	7/12 से 3/13 तक
9	श्री ओम प्रकाश	सफाई कर्मचारी	7/12 से 3/13 तक
10	श्री राज सिंह	सफाई कर्मचारी	7/12 से 3/13 तक
11	श्रीमती बिमला देवी	सफाई कर्मचारी	7/12 से 3/13 तक
12	श्रीमती शारदा देवी	सफाई कर्मचारी	11/11 से 3/13 तक
13	श्री शक्ति चन्द	सफाई कर्मचारी	8/10 से 3/13 तक
14	श्री राकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	7/12 से 3/13 तक
(ii)	**अंशदान भविष्य निधि का विवरणः–**		
1	श्री हेम राज	बेलदार	4/11 से 3/13 तक
2	श्री प्रीतम चन्द	ड्राईवर	4/11 से 3/13 तक
3	श्री कुलदीप चन्द	मिस्त्री	4/11 से 3/13 तक
4	श्री करतार चन्द	बेलदार	4/11 से 3/13 तक
5	श्रीमती ऊषा देवी	सफाई कर्मचारी	4/11 से 3/13 तक

20 निर्माण कार्यो के बिलों से प्रतिभूति राशि ₹108463 की कटौती न करनाः–

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 5/11 से 3/13 के दौरान निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निष्पादित किए गए कार्य के बिलों से 10**%** प्रतिभूति राशि ₹108463/–' कटौती नियमानुसार नहीं की गई। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्य का नाम	संविदाकार का नाम	अवार्ड पत्र सं0	किया गया कुल कार्य (₹)	प्रतिभूति राशि @10% (₹)	माप पुस्तिका सं0 व पेज सं0
1	R/M of Kucha drain on road and road side Berms on Dehra Bari Road & Harizon Abadi	श्री रणजीत सिंह	534/एन0पी0डी0 /15.7.10	24258	2426	42 पेज सं0 56
2	Supply & stacking of material for various works in N.P. Dehra	श्री मान चन्द	22/6 दिनांक 24. 4.10	111987	11199	42 पेज सं0 56
3	Development of site of samshan Ghat in ward No.3	श्री रमेश चन्द	शून्य	18867	1887	44 पेजसं0 65, 66
4	C/O cone Road from community centre grate upto vijay kumar house	श्री रमेश चन्द	शून्य	10706	1071	44 पेज सं0 64, 65
5	C/O Steps to Bias Ghat in ward No. 4	श्री रणजीत सिंह	383/एन0पी0डी0 /30.6.12	42711	4271	44 पेज 57, 56
6	C/O Pucca court yard in front of advocated Chember complex at Dehra	श्री रणजीत सिंह	584/एन0पी0डी0 /25.9.12	41781	4178	44 पेज 55, 58

7	R/M of Kutcha drain of Berms of Dehra Bari Road & Harizon Abadi in N.P. Dehra	श्री मान चन्द	शून्य	18282	1828	44 पेज 67
8	C/O Path from culvert on Haripur Road to G.S.S.S Dehra	श्री मलकीत चन्द	586/एन0पी0डी0 /25.9.12	102695	10270	44 पेज 68, 69
9	Supply & Stacking of Material for various works in N.P. Dehra	श्री रविन्द्र सूद	शून्य	95159	9516	44 पेज 77, 78
10	C/O Path from Haripur Road to Googa Mandir Phase-IV	श्री संजय कुमार	928/एन0पी0डी0 /010	90208	9021	44 पेज 70, 71
11	R/M of ULB Road in N.P. Dehra	श्री पहरू राम	381/एन0पी0डी0 /30.6.12	51312	5131	44 पेज 75
12	R/M Street Path in Harizon Abadi	श्री मलकीयत चन्द	338/ण्न0पी0डी0 /10.6.11	26863	2686	44 पेज 73, 74
13	R/O Renovation of SDO ©_ Road in N.P. Dehra	श्री मलकीयत चन्द	शून्य	22644	2264	44 पेज 73
14	Supply of material for various works in N.P. Dehra	श्री रणजीत सिंह	22/11 दिनांक 22.4.11	233634	23363	44 पेज 76, 77
15	C/O steps from Hawa Ghar to Bias Ghat Phase-II	श्री मान चन्द	शून्य	79474	7947	44 पेज 82
16	Supply of Drain Cover Grill Gate etc. in N.P. Dehra	मैसर्ज अशोक बैल्डिंग वर्कस	शून्य	26313	2631	44 पेज 82

17	R/M of Street form Azad House towards D.A.V School damazed Laying severage line	श्री मलकीयत चन्द	14/एन0पी0डी0./12.1.12	25205	2521	44 पेज 84, 85
18	Renovation of Sarai/Finishing work of sarai in ward No. 7	श्री मान चन्द	शून्य	19325	1933	43 पेज 10, 11 व 12
19	R/M of Drain on Dehra Bari Road Harixon Abadi Near Bus stand	श्री रणजीत सिंह	337/एन0पी0डी0/10.6.11	43196	4320	44 पेज 84 से 86
				योग	**108463**	

अतः उपरोक्त उल्लेखित क्रम संख्या 1 से 19 पर दर्शाए गए कार्यों के बिलों से प्रतिभूति राशि ₹108463/– न काटने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

21 टी0डी0एस0 ₹27811/– की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 सी में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000/– से अधिक के किसी भी एकल भुगतान व ₹75000/– से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से टी0डी0एस0 काटा जाना अनिवार्य है व धारा 194– सी किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो या फिर मौखिक हो पर लागू होती है। जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194 सी में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.11 से निम्नलिखित फर्मों ठेकेदारों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है जिसके कारण सरकारी कोष में ₹27811/– टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए है। अतः उक्त सम्पूर्ण टी0डी0एस0 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

भविष्य में आयकर की धारा 194–सी के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0 एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	**बिल सं0 व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**समान का विवरण**	**भुगतान की गई राशि**	**2% टी0डी0एस0 की राशि**
1	3217 व 3218 / 6.9.11	मैसर्ज सुभाष ब्रदर्ज मेन बाजार, देहरा	स्ट्रीट लाईट सामान	154689	3094
2	37363737 / 28.4.'12	मैसर्ज सुभाष ब्रदर्ज मेन बाजार, देहरा	स्ट्रीट लाईट सामान	188252	3765
3	3995 व 3997 / 29.3.12	मैसर्ज सुभाष ब्रदर्ज मेन बाजार, देहरा	स्ट्रीट लाईट सामान	235755	4715
				योग	**11574**
4	723 / 8.6.11	मैसर्ज नारायण स्वरूप फिनाईल एंड कैंडल लिमिटेड	सेनीटेशन का सामान	48475	970
5	शून्य / 6.10.12	मैसर्ज नारायण स्वरूप फिनाईल एंड कैंडल लिमिटेड	सेनीटेशन का सामान	46325	927
				योग	**1897**
6	2011–12	राज कुमार सुपुत्र श्री	सफाई का ठेका	275000	5500

		मिलखी राम, देहरा			
7	2012—13	राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम, देहरा	सफाई का ठेका	442000	8840
				योग	**14340**
				कुल योग	**27811**

22 <u>संविदाकार के बिलों से काटे गए आयकर एवं बिक्री कर ₹19541/— की सरकारी खजाने में जमा करवाने की पुष्टि न करवानाः—</u>

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "छ"** के विवरणानुसार माह 1/12 से 3/12 तक के दौरान विभिन्न संविदाकारों के बिलों से आयकर के रूप में ₹10453/— व बिक्री कर के रूप में ₹9088/— कुल ₹19541/— काटे गए है लेकिन उक्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण मे ंनहीं करवाई गई है। अतः सरकारी खजाने में उक्त राशि जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 के दौरान संविदाकार के बिलों से काटे गए आयकर व बिक्री कर व सरकारी खजाने में जमा करवाए गए आयकर व बिक्री कर की राशि का निर्धारित प्रारूपानुसार रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में किस—किस कार्य हेतु किस—2 संविदाकार से किस—2 बिल/वाऊचर के अन्तर्गत कब—2, कितनी—2 राशि आयकर व बिक्रीकर के रूप में काटी गई है व कब—2, किस—2 चालान के अन्तर्गत सरकारी खजाने में जमा करवाई है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 <u>₹3018/— का अधिक/अनुचित भुगतानः—</u>

कार्य का नामः— R/M of Drain on Dehra Bari Road Harizon Abadi Near Bus Stand

संविदाकार का नामः— श्री रणजीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः एन0पी0डी0/337/10.6.11

माप पुस्तिकाः– 44 पेज 85

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि मात्रा की गणना में त्रुटि के कारण मद संख्या 1, 2, 3 व 5 (iv) पर उल्लेखित ₹813, ₹570, ₹1275 व ₹360 कुल ₹3018/– का संविदाकार श्री रणजीत सिंह को अधिक/अनुचित भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

मद सं0	मद का विवरण	वास्तवित मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अधिक दर्शार्द गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Excavation in Dumple stone mulba 1/C Stacing of ServiceableMaterial & unserviceable Material	37.53 घन मी0	44.42 घन मी0	6.89 घन मी0	118	4429	5242	813
2	P/L CC 1:6:12 in foundation Plinth	11.88 घन मी0	13.24 घन मी0	1.36 घन मी0	419	4978	5548	570
3	S/R & line masonary work with hard stone 1/C racking joints in CM 1:6 foundation Plinth	21.72 घन मी0	22.74 घन मी0	1.02 घन मी0	1250	27150	28425	1275
5 (iv)	Excavated earth	5.71 घन मी0	5.71 घन मी0	–	54.35	310	670	360
							योग	**3018**

24 गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1531/– का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O Pucca court yard in front of advocates chamber complex at Dehra.

संविदाकार का नामः– श्री रणजीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः– 584/एन0पी0डी0/25.9.12

माप पुस्तिकाः— 44 पेज 57 व 58

कुल निष्पादित किए गए कार्य की मात्राः— ₹41781/—

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि मात्रा की गणना में त्रुटि के कारण मद संख्या 7 पर उल्लेखित ₹1531/— का संविदाकार श्री रणजीत सिंह को अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अधिक भुगतान की वसूली अभिलम्ब उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए।

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक सं0	दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	भुगतान किया गया	अधिक भुगतान
7	P/L C:C 1:5:10	4.8 घन मी0	7.80 घन मी0	510.44	2450	3981	1531

25 संविदाकार को ₹1358/— का अधिक/अनुचित भुगतानः—

कार्य का नामः— C/O R/Wall Near Shamshan Ghat in ward No.3

संविदाकार का नामः— श्री शिवेन्द्र शर्मा

अनुमानित लागतः— ₹34450

आबंटित राशिः— ₹53324

कुल किया गया कार्यः— ₹39948

प्रतिशतताः— 54.8% नीचे

अवार्ड पत्र संख्याः—930/एन0पी0डी0/1.11.2010

माप पुस्तिका संख्याः— 42 पेज संख्या 52 व 53

उक्त बिल में अतिरिक्त मद Boulder filling behind R/Wall हेतु दर विश्लेषण की दर ₹360.40 की जगह ₹606.35 की दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹1358/— का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को अभिलम्ब वसूल की जानी

सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	मात्रा	देय दर	दी गई दर	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Boulder Filling behind R/Wall	5.52एम3	360.40	606.35	245.95x5.52=1357.64/=1358

उक्त मद हेतु दर विश्लेषण का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

एच0पी0एस0आर0 2009 के अनुसार शैडयूल दर	प्रतिशतता 54. 8% (नीचे)	अतिरिक्त मद हेतु देय दर	दी गई दर	अन्तर
797.35	436.95	797.35–436.95=360.45	606.35	245.95

26 ₹3951/– का संविदाकारो को अधिक भुगतानः–

(क) संविदाकार श्री मलकीत सिंह को ₹702/– का गणना में त्रुटि के कारण अनुचित/अधिक भुगतानः–

कार्य कानामः– Improvement and widening of Path from Senior Secondary School to Harizon Abadi Phases-II

संविदाकार का नामः– श्री मलकीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः– 927/एन0पी0डी0/1.11.10

माप पुस्तिकाः– 44, पेज 62

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Demolition of cone below G/Level and	4.34 घन मी0	5.59 घन	1.25 घन मी0	425	1845	2376	531

	disposed of unserviceable material		मी0					
3	P/L 50mm Thick Flooring in C:C 1:2:4	311.84 वर्ग मी0	312.79 वर्ग मी0	0.95 वर्ग मी0	180	56131	56302	171
							योग	702

(ख) संविदाकार श्री मलकीत सिंह को ₹637/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– R/O Resteration of Path in Harizon Abadi Judge Residence

संविदाकार का नामः– श्री मलकीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः– एन0पी0डी0/338/10.6.11

माप पुस्तिकाः– 41 पेज 87, 44 पेज 74

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
3	P/L CC Flooring 40mm Thick CC 1:2:4	170.05 वर्ग मी0	180.68 वर्ग मी0	10.63 वर्ग मी0	60	10203	10840	637

(ग) श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹621/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O Development of site shamshanghat in ward No. 3

संविदाकार का नामः– श्री रमेंश चन्द

अवार्ड पत्र संख्याः– शून्य

कार्य शुरू करने की तिथिः– 1/2013

कार्य समाप्ति की तिथिः– 1/2013

माप पुस्तिकाः— 44 पेज संख्या 65 से 66

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
2	Excavation in earth work	78.6 वर्ग मी0	84.0 घन मी0	5.4 घन मी0	115	9039	9660	621

(घ) संविदाकार श्री मान चन्द को ₹529/— का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः—

कार्य का नामः— C/O Steps Near Hawa Ghar to Bias Ghat Phase-II

संविदाकार का नामः— श्री मान चन्द

अवार्ड पत्र संख्याः— शून्य

कार्य शूरू करने की तिथिः— 1/2012

बिल प्रविष्टि की तिथिः— 9.3.13

माप पुस्तिकाः—44 पेज 13 व 81

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Excavation in earth	56.94 घन मी0	57.87 घन मी0	0.93 घन मी0	150	8541	8681	140
2	P/L CC 1:6:12	13.51 घन मी0	14.47 घन मी0	0.96 घन मी0	405	5471	5860	389

	योग	529

(ङ) संविदाकार श्री मलकीत सिंह को ₹479/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– R/M Streer from Azad House Towards DAV School Damazed during laying severafe line

संविदाकार का नामः– श्री मलकीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः– एन0पी0डी0/14/12.1.2012

माप पुस्तिकाः– 43 पेज 25

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
3	Excavation in depth mulba & stone 1/C stacking of serviceable and disposal of unserviceable material	51.07 घन मी0	55.23 घन मी0	4.16 घन मी0	115.11	5879	6358	479

(च) संविदाकार श्री रणजीत सिंह को ₹323/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Supply of Material for various works

संविदाकार का नामः– श्री रणजीत सिंह

कार्य आदेश संख्याः– 22/11 दिनांक 24.4.11

माप पुस्तिकाः– 44 पेज 76

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Supply & Stacking of Sand	105.60 घन मी0	106.10 घन मी0	.50 घन मी0	645	68112	68435	323

(छ) संविदाकार श्री रविन्द्र सूद को ₹300/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Supply & Stacking of Boulder stone C/O court yard in front of Advocate complex

संविदाकार का नामः– श्री रविन्द्र सूद

माप पुस्तिकाः– 44 पेज 39

मद सं0	मद का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Supply & Stacking of Boulder stone of Approved Quality	32.50 घन मी0	570	18525	18825	300

(ज) संविदाकार श्री रणजीत सिंह को ₹199/– का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O Steps to Bias Ghat in ward No.4

संविदाकार का नामः– श्री रणजीत सिंह

कार्य शुरू करने की तिथिः— 5.7.12

कार्य समाप्ति की तिथिः— 23.8.12

बिल प्रविष्टि की तिथिः— 24.8.12

माप पुस्तिकाः— 44 पेज 33

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Excavation of earth in foundation	9.03 घन मी0	10.56 घन मी0	1.53 घन मी0	130	1174	1373	199

(झ) संविदाकार श्री रणजीत सिंह को ₹161 / — का गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं गलत भुगतानः—

कार्य का नामः— Repair of Public Path situated in ward No. 3

संविदाकार का नामः— श्री रणजीत सिंह

अवार्ड पत्र संख्याः— एन0पी0डी0 / 531 / 15.7.10

माप पुस्तिकाः— 41 पेज संख्या 48

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दशाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
4	R/R stone masonary uncrushed work with Hard stone	4.10 घन मी0	4.15 घन मी0	.05 घन मी0	615	2521	2552	31
5	P/L 40mm C.c. Flooring in	133.57 वर्ग मी0	135.57 वर्ग मी0	2 वर्ग मी0	65	8682	8812	130

	1:2:4							
							योग	161

उपरोक्त उल्लेखित (क) से (झ) निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण विभिन्न संविदाकारों को ₹3951/– का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनुचित व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 दुकानो के किराये में वृद्धि न करने के कारण ₹870/– की कम वसूलीः–

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित दुकानदारों से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये में वृद्धि न करके किराये के ₹870/– की कम वसूली की गई है जबकि अनुबन्ध की शर्त–II में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमानुसार किराये में 10% की वृद्धि की जाएगी व प्रत्येक 5 वर्ष बाद पटटे का नवीनीकरण करवाया जाएगा परन्तु नगर पंचायत द्वारा नियम की अनुपालना न करके वास्तविक किराये में वृद्धि नहीं की गई है। अतः दुकानदारों के किराये में वृद्धि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किराये में नियमानुसार वृद्धि करके सम्बन्धित दुकानदारों से अपेक्षित राशि की वसूली करने उपरान्त यह राशि नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	मासिक किराया	वृद्धि उपरान्त वसूली योग्य किराया	वसूला गया किराया	अन्तर	कम वसूला गया किराया (₹)
1	10	सतपाल	483	483+483X10%=531	483	48	दिनांक 1.1.12 से 31.3.13 तक 48X15=720
2	24	बलवंत सिंह	500	500+500X10%=550	500	50	दिनांक 1.1.13 से 31.3.13 तक 50X3=150

कुल योग **870**

28 **<u>दुकानदारों से विलम्ब दण्उ शुल्क कम दर से वसूलने के कारण ₹1108/– की वित्तीय हानिः–</u>**

(क) दुकानदार श्री सतपाल सुपुत्र श्री जमना दास दुकान संख्या 10 से किराये के साथ विलम्ब शुल्क की वसूली अनुबन्ध की शर्त–3 के अनुसार कम दर पर वसूली करने के कारण ₹628/– की कम वसूली की गई है। अनुबन्ध की शर्त–3 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकानदार महीनें की 10 तारीख तक किराये का भुगतान नहीं करता है तो उससे 11 तारीख से ₹10 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्उ शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके उक्त दुकानदार से निम्न विवरणानुसार ₹628/– की कम वसूली की गई जिसकी वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**किराया जमा करवाने की नियम तिथि**	**किराया जमा करवाने की तिथि**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की दर**	**किराया जितने दिन देरी से जमा करवाया**	**वसूली योग्य विलम्ब दण्ड शुल्क**	**वसूला गया विलम्ब दण्ड शुल्क**	**कम वसूला गया विलम्ब दण्ड शुल्क**
1	10.8.11	31.8.11	10	21 दिन	210	54	156
2	10.4.12	11.4.12	10	1 दिन	10	1	9
3	10.6.12	14.6.12	10	4 दिन	40	4	36
4	10.8.12	31.8.12	10	21 दिन	210	55	155
5	10.9.12	16.9.12	10	6 दिन	60	–	60
6	10.12.12	31.12.12	10	21 दिन	210	43	167
7	10.3.13	15.3.13	10	5 दिन	50	5	45
						योग	**628**

(ख) दुकानदार श्री रमन डोगरा सुपुत्र श्री आंकार चन्द, दुकान नम्बर–16 से किराये के साथ विलम्ब दण्उ शुल्क की वसूली अनुबन्ध की शर्त–II के अनुसार न करके कम दर पर वसूली

करने के कारण ₹480/– की कम वसूली की गई है जबकि अनुबन्ध की शर्त –II के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकानदार महीने की 10 तारीख तक किराये का भुगतान नहीं करता है तो उससे 11 तारीख से 17 तारीख तक ₹2 प्रतिदिन व 18 तारीख से ₹5 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाएगा लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके उक्त दुकानदार से अनुबन्ध की शर्त–II के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली नहीं की गई जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0 सं0	**किराया जमा करवाने की नियम तिथि**	**किराया जमा करवाने की तिथि**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की दर माह की 11 तारीख से 17 तारीख तक ₹2 प्रतिदिन व 18 तारीख से ₹ प्रतिदिन की दर**	**किराया जितने दिन देरी से जमा करवाया**	**वसूली योग्य विलम्ब दण्ड शुल्क**	**वसूली गया विलम्ब दण्ड शुल्क**	**कम वसूला गया विलम्ब दण्ड शुल्क**
1	10.4.11	19.4.11	₹2 व ₹5	9 दिन	24	11	13
2	10.5.11	21.5.11	₹2 व ₹5	11 दिन	34	15	19
3	10.6.11	27.6.11	₹2 व ₹5	17 दिन	64	27	37
4	10.7.11	25.7.11	₹2 व ₹5	15 दिन	54	23	31
5	10.8.11	31.8.11	₹2 व ₹5	21 दिन	84	37	47
6	10.9.11	28.9.11	₹2 व ₹5	18 दिन	69	29	40
7	10.10.11	31.10.11	₹2 व ₹5	21 दिन	84	35	49
8	10.11.11	30.11.11	₹2 व ₹5	20 दिन	79	33	46
9	10.2.12	26.2.12	₹2 व ₹5	16 दिन	59	27	32
10	10.3.12	15.3.12	₹2	5 दिन	10	6	4
11	10.4.12	26.4.12	₹2 व ₹5	16 दिन	59	25	34
12	10.5.12	14.5.12	₹2	4 दिन	8	1	7

13	10.6.12	19.6.12	₹2 व ₹5	9 दिन	24	8	16
14	10.7.12	16.7.12	₹2	6 दिन	12	7	5
15	10.8.12	27.8.12	₹2 व ₹5	17 दिन	64	27	37
16	10.10.12	18.10.12	₹2 व ₹5	8 दिन	19	7	12
17	10.1.13	15.1.13	₹2	5 दिन	10	5	5
18	10.2.13	13.3.13	₹2	3 दिन	6	–	6
19	10.3.13	28.3.13	₹2 व ₹5	18 दिन	69	29	40
							480

अतः उपरोक्त उल्लेखित (क व ख) ₹1108/– दुकानदारो से नियमों अनुरूप विलम्ब दण्ड शुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि अब वसूल करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29 दुकानदार से विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹1362/– की कम वसूलीः–

श्री राम गोपाल सुपुत्र श्री ईश्वर दास, दुकान संख्या 12 (बस स्टैण्ड देहरा) से किराये के साथ विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली अनुबन्ध की शर्त–3 के अनुसार न करने के कारण ₹1362/– की कम वसूली की गई है अनुबन्ध की शर्त–3 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकानदार महीने की 10 तारीख तक किराये का भुगतान नहीं करता है तो उससे 11 तारीख से ₹2 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके उक्त दुकानदार से अनुबन्ध की शर्त–3 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क वसूल नहीं किया गया । अतः नियम की अनुपालना बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार अपेक्षित राशि अब वसूल करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	किराया जमा करवाने की नियम तिथि व अवधि	किराया जमा करवाने की तिथि	किराया जितने दिन देरी से जमा करवाया	विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹)	वसूली योग्य विलमब दण्ड शुल्क

					(₹)
1	10.4.11 से 30.8.11	6.9.11	143 दिन	2	286
2	10.10.11 से 31.3.13	6.9.11	538 दिन	2	1076
				योग	**1362**

30 ₹8400/– किराये के रूप में वसूली हेतु शेषः–

श्री लाल चन्द सुपुत्र श्री जगत राम, दुकान संख्या 5 द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 7.6.10 को दुकान खाली कर दी है व दुकान की चाबियां नगर पंचायत देहरा के कार्यालय में जमा करवा दी है व उक्त प्रार्थना पत्र को सचिव द्वारा अनुमोदित कर दिया है लेकिन उक्त दुकानदार से दिनांक 7.6.10 को ₹8400/– किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थी व उक्त दुकानदार द्वारा दिनांक 31.3.13 तक लगभग तीन साल व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं करवाई है। अतः अविलम्ब उक्त राशि की वसूली ब्याज व दण्ड ब्याज सहित करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 श्री बंसी लाल भूतपूर्व सचिव की पैन्शन से ₹5000/– प्रतिमाह कटौती न करने बारेः–

नगर पंचायत देहरा के कार्यवाही रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि प्रथम अक्तूबर 2011 को सदन की अध्यक्ष व सचिव द्वारा यह आदेश पारित किया है कि नगर पंचायत देहरा के भूतपूर्व सचिव को पैन्शन के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि अधिक होने के कारण उनकी पैन्शन से प्रतिमाह ₹5000/– की कटौती तत्काल प्रभाव से की जाए, ताकि गलत एवं अधिक भुगतान की गई पैन्शन की राशि की वसूली जल्दी सम्भव हो सके। लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्री बंसी लाल की पैन्शन से ₹5000/– प्रतिमाह की दर से कटौती न करके ₹2000/– प्रतिमाह की कटौती की जा रही है। नगर पंचायत की अध्यक्षा व सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः अनुरोध किया जाता है कि पैन्शन के रूप में अधिक एवं गलत किए गए कई लाखों रूपये की राशि की शीध्रता से वसूली करने हेतु तुरन्त प्रभाव से पैन्शन राशि से ₹5000/– प्रतिमाह काटे जाने सुनिश्चित किए जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 बिना औपचारिकता पूर्ण किए खुले बाजार से ₹10646/– की खरीद बारेः–

वाऊचर संख्या 33 दिनांक 15.3.13 के तहत मैसर्ज छावड़ा ट्रेडर्स फतेहगढ़ चौक, होशियारपुर को निम्नलिखित सामान क्रय हेतु ₹10646/– का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	पी0एफ0–1 रजिस्टर साईज (17X27 लेजर पेपर)	2	580	1160
2	जी–2 (17X27 डबल एन्ट्री लेजर पेपर)	4	1160	4640
3	आर–4 (200 पैकेट इन डुप्लीकेट बिल नम्बर 181 से 230	50	64.90	3245
4	अनापत्ति प्रमाण पत्र (बिजली)	3	44.90	134.70
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र (पानी)	3	44.90	134.70
			योग	**9314.40**
		सी0एस0टी0 14.30%		1332.00
				10646.40
		भुगतान हेतु पारित		**10646**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई है।

(i) उपरोक्त सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है। केवल नाममात्र के लिए तीन निविदाएं अभिलेख में संलग्न है जो कि सभी होशियारपुर (पंजाब) से ही ली गई है जिनमें फैरेट प्रिटिंग प्रैस गुरिया गेट होशियारपुर, जै0 सच्चिदानन्द प्रिंटिंग प्रैस, फतेहगढ़ चौक, होशियारपुर व छावबड़ा ट्रैडर्स फतेहगढ़ चौक, होशियारपुर की है। उक्त निविदाएं कब आमन्त्रित की गई से सम्बन्धित आमन्त्रण पत्र, कब प्राप्त हुई उनका डायरी नम्बर, तुलनात्मक विवरण व उक्त क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेश भी अभिलेख में मौजूद नहीं

है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फर्म को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए सम्पूर्ण क्रय उच्च दरों पर किया गया प्रतीत होता है। नियमानुसार उक्त सामान की क्रय करने हेतु औपचारिकता पूर्ण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित सामान को हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर होशियारपुर (पंजाब) से क्रय किया गया दर्शाया है जबकि उपरोक्त उल्लेखित सामान हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हो सकता था। अतः उक्त सामान को हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अन्दर क्रय न करके, होशियारपुर (पंजाब) से क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक की प्रविष्टियां नहीं की गई। स्टॉक प्रविष्टियों व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है यह गम्भीर अनियमितता है। अतः वांन्छित स्टॉक प्रविष्टियॉ अब करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

33 ट्रैक्टर के मुरम्मत एवं रख रखाव हेतु ₹23100/– अनियमित व्ययः–

निम्नलिखित विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत ट्रैक्टर (एच0पी0 36–2969) की मुरम्मत व रख रखाव पर ₹23100/– का व्यय किया गया है।

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	माह/वा0सं0	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	शून्य/11.11.11	3/013/25(2)	जे0एस0 ऑटो वर्कस नैहरनपुखर देहरा	सैल्फ रिपेयर कॉपर सैल कॉपर सैट फिटिंग मजदूरी	4 पीस – 1 –	60 – 230	240 40 230 150
						योग	**660**
2	234/11.11.11						
		3/13/25(3)	माधुरी इन्जीनियरिंग वर्कस	वुश ऑर्नेटर	– –	– –	100 50

			नैहरनपुखर देहरा				
						योग	**150**
3	103 / 15.2.12	3 / 13 / 25(5)	श्री साईं ट्रेडर्स, हनुमान चौक देहरा	आयल प्रेशरपाईप आयल फिल्टर डीजल फिल्टर सैट	– – –	– – –	230 120 110
						योग	**460**
4	135 / 15.2.121	3 / 13 / 25 (6)	उल्लेखित नही	इंजन ऑयल मोटर फिल्टर वैरिंग मजदूरी	1 ली0 1 ली0 – –	310 30 – –	310 30 35 130
						योग	**505**
5	शून्य / 16.7.12	3 / 13 / 25(8)	जे0एस0 ऑटो वर्कस नैहरनपुखर देहरा	सैल्फ सनसैट स्विच बैल्डिंग फिटिंग लेबर	– – –	– – –	470 150 180
						योग	**800**
6	372 / 23.7.12	3 / 13 / 25(3)	लुधियाना ऑटो, इन्जीनियरिंग सुनेहत, देहरा	6 शाफट साईज रैमर बुश फिटिंग लेयर	– – –	– – –	1490 400 500
						योग	**2390**
7	379 / 21.7.12	3 / 13 / 25(14)	लुधियाना ऑटो, इन्जीनियरिंग सुनेहत, देहरा	सपैडल बैल्डिंग सपैडल बुश	2 6	200 200	400 1200
						योग	**1600**
8	शून्य / 28.7.12	3 / 13 / 25	उल्लेखित नहीं	6 शाफट साईज	–	–	1400

		(15)		रैपर बुश फिटिंग लेबर	— —	— —	300 400
						योग	**2100**
				बुश			850
						योग	**2950**
9	शून्य / 23.7.12	3 / 13 / 25(16)	विनय इलैक्टिरकल वर्कस सुनेहत, देहरा	रेडियेटर मुरम्मत	—	—	250
10	105 / 14.8.12	3 / 13 / 25 (17)	श्री साईं ट्रेडर्स, हनुमान चौक देहरा	ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर	— —	— —	350 230
						योग	**580**
11	106 / 26.9.12	3 / 13 / 25 (18)	श्री साईं ट्रेडर्स, हनुमान चौक देहरा	व्हील सिलिण्डर किट	1	590	590
12	290 / 2.3.13	3 / 13 / 25 (22)	श्री साईं ट्रेडर्स, हनुमान चौक देहरा	ब्रेक आयॅल पाईप कलम्प मजदूरी	1 बोतल 1 2 पीस —	190 80 10 —	190 80 20 80
						योग	**370**
13	411 / 7.11.12	3 / 13 / 28 (1)	विशाल इन्जीनियरिंग वर्कस ढलियारा	जैक पाईप टैक्टर वाली जैक वाली छोटी पाईप मजदूरी	1 1 —	670 200 —	670 200 150
						योग	**1020**
14	495 / 21.11.11	3 / 13 28(2)	विशाल	नया जैक	1	7500	7500

			इन्जीनियरिंग वर्कस ढलियारा	जैक पाईप जैक फंडीशन चैसी एंगल	1 — —	280 — —	280 980 990
							9750
15	शून्य / 15.11.12	3 / 13 / 30	रूद्रा ऑओमोबाईल सुनेहत, देहरा	ब्रेक लाईनिंग व्हील सेलेण्डर सप्रिंग मजदूरी	— — 2 —	— — 60 —	175 480 120 250
						योग	1025
			क्रम संख्या 1 से 15 तक का कुल योग				23100

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(i) क्रम संख्या 6 व 8 पर क्रमशः दिनांक 23.7.2013 व 27.7.2013 को क्रय किया गया। मुरम्मत का सामान एक समान है। अतः 4 दिन के अन्तराल में ₹2950/— का सामान खरीद करना संदिग्ध प्रतीत होता है। इस बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 15 पर उल्लेखित मुरम्मत करवाए गए सामान के एवज में पुराने सामान को मुरम्मत एवं रख रखाव लॉग बुक में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। लेकिन उक्त मुरम्मत करवाए गए सामान को मुरम्मत एवं रख रखाव लॉग बुक में दर्ज नहीं किया गया है। मुरम्मत एवं रख रखाव से सम्बन्धित प्रविष्टियों के अभाव में मुरम्मत एवं रख रखाव पर व्यय दर्शाई गई राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मुरम्मत किए गए सभी पुराने पुर्जों की प्रविष्टियां वाहन रख रखाव रजिस्टर के उपरान्त आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित टैक्टर की मुरम्मत एवं रख रखाव का कार्य ट्रैक्टर निर्माण कम्पनी अथवा कम्पनी के अधिकृत सर्विस सैन्टर से ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु मुरम्मत कार्य स्थानीय फर्मों से बिना औपचारिकता पूर्ण किए करवाया गया है। अतः निर्माता कम्पनी अथवा कम्पनी के अधिकृत सर्विस स्टेशन से उक्त मुरम्मत कार्य न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की

जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत की उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

34 ₹31163/– खरीदे गए सामान की खपत से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करना:–

निम्नलिखित व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत मैसर्ज परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा को सप्लाई का सामान क्रय करने पर ₹31163/– का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	वा0सं0/माह	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	8117/24.1.12	31(1)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	150 कि0ग्रा0	10	1500
				सेवा रस्सी	2 कि0ग्रा0	110	220
				दौण	4 पीस	25	100
				दस्ता	6 नं0	25	150
				कस्सी	6 नं0	90	540
				टोकरी	6 पीस	60	360
							2870
						वैट	144
							3014
2	8120/8.6.12	31(2)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	400कि0ग्रा0	10	4000
				सेवा रस्सी	8कि0ग्रा0	110	880
				दौण	16 पीस	25	400
				टोकरी	6	60	360
				दस्ता	6	25	150

				झाड़ू खजूर	2	35	70
				झाड़ू नारियल	2	30	60
					वास्तविक योग		5920
					दर्शाया गया योग		6800
					वैट 5 **%**		340
					भुगतान हेतु पारित		7140
3	8127/9.6.12	31(3)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	100 कि0ग्रा0	10	1000
				सेवा रस्सी	8 कि0ग्रा0	110	880
				दौण	16 पीस	25	400
				झाड़ू नारियल	12	30	360
				वाईपर	1	100	100
				टायलट ब्रश	1	75	75
				झाड़ू खजूर	2	35	70
							2885
						वैट	144.25
							3029.85
					भुगतान हेतु पारित		3029
4	8131/11.8.12	31(4)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	100 कि0ग्रा0	10	1000
				सेवा रस्सी	2 कि0ग्रा0	110	220
				दौण	4 पीस	25	100
				कस्सी	4 पीस	90	360
				दस्ता	6 पीस	25	150
				झाड़ू नारियल	6 पीस	30	180

							2010
						वैट	100
						योग	2110
					भुगतान		2010
5	8135/22.10.12	31 (5)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	100 कि0ग्रा0	10	1000
				सेवा रस्सी	4 कि0ग्रा0	110	440
				दौण	8 पीस	25	200
				दस्ता	6 पीस	25	150
				झाडू नारियल	12 पीस	30	360
							2150
						वैट	108
						योग	**2258**
6	8136/10.1.13	31(6)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	300 कि0ग्रा0	10	3000
				सेवा रस्सी	6 कि0ग्रा0	110	660
				दौण	12 पीस	25	300
							3960
						वैट	198
						योग	**4158**
7	8137/23.1.13	31(7)/3/13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	100 कि0ग्रा0	10	1000
				सेवा रस्सी	2 कि0ग्रा0	110	220
				दौण	4 पीस	25	100
				कस्सी	2 पीस	90	180
				झाडू नारियल	6 पीस	30	180

				झाड़ू खजूर	2 पीस	35	70
							1750
						वैट	87.50
						योग	**1837.50**
					भुगतान हेतु पारित		1837
8	8145 / 12.2.13	31 (8) / 3 / 13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	300 कि0ग्रा0	10	3000
				सेवा रस्सी	4 कि0ग्रा0	110	440
				दौण	8 पीस	25	200
				झाड़ू नारियल	2 पीस	35	70
				झाड़ू खजूर	6 पीस	30	180
							3890.00
						वैट	194.50
						योग	**4084.50**
					भुगतान हेतु पारित		4084
9	8161 / 21.2.13	31(9) / 3 / 13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	150 कि0ग्रा0	10	1500
				सेवा रस्सी	4 कि0ग्रा0	110	440
				दौण	8 पीस	25	200
							2140
						वैट	107
						योग	**2247**
10	8164 / 11.3.13	31(10) / 3 / 13	परमार हार्डवेयर स्टोर, देहरा	चूना	100 कि0ग्रा0	10	1000
				सेवा रस्सी	2 कि0ग्रा0	110	220
				दौण	4 पीस	25	100
							1320

						वैट	66
						योग	**1386**
			क्रम संख्या 1 से 10 तक का कुल योग				31163

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान का वास्तविक योग ₹5920/– है व 5**%** वैट ₹296/– जोड़ने के उपरान्त कुल भुगतान ₹6216 (5920+296) ही नियमानुसार देय था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा ₹7140/– का भुगतान किया गया है। फलस्वरूप ₹924/– (7140–6216) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः ₹924/– अधिक किए गए भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म/उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत खाते में अभिलम्ब जमा करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त वाउचर क्रम संख्या 1 से 10 के अन्तर्गत 1800 किलोग्राम चूना ₹10 प्रति किलो ग्राम की दर से ₹18000/– बिना औपचारिकता पूर्ण किए खरीद खुले बाजार से किया गया जोकि नियमानुसार यह दर संविदा के आधार पर खरीदा जाना अपेक्षित था। बिना औपचारिकता पूर्ण किए बिना खुले बाजार से 1800 कि0ग्रा0 चूना खरीदने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व बाजार में उपलब्ध दरों की वास्तविकता को मध्यनजर रखते हुए चूने की प्रति किलोग्राम दर को न्यायोचित व तर्कसंगत ठहराया जाए।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 10 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में पेज संख्या 55, 56 व 57 पर प्रविष्टि करके सभी मदों को एक दिन में ही स्टॉक से खारिज कर दिया गया है। व उक्त स्टॉक प्रविष्टियों/खपत से सम्बन्धित अभिलेख को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। स्टॉक प्रविष्टियों को एक ही पेज पर दर्ज करना व 10 बिलों के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों को खरीदे गए सामान को एक ही दिन में स्टॉक से खारिज कर देना तर्कसंगत नहीं है। एक ही दिन में ₹31163/– का सामान स्टॉक से खारिज करना स्टॉक प्रविष्टि/खपत संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः उक्त वर्णित वाऊचरों के तहत खरीदे गए सम्पूर्ण सामान के खपत से सम्बन्धित अभिलेख अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

35 <u>बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए ₹32270/– कम्पयूटर से सम्बन्धित सामान का क्रयः–</u>

मैसर्ज पंकज इलैक्ट्रॉनिक्स देहरा से कम्पयूटर सिस्टम क्रय करने पर ₹32270/– का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	माह	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	371/7.3.13	3/13	पंकज इलैक्ट्रॉनिक्स मेन बाजार देहरा	प्रोसेसर कोर आई–3	मात्रा उल्लेखित नहीं		6850
				एमबीडी–945	मात्रा उल्लेखित नहीं		3400
				एचडी–500जीवी	मात्रा उल्लेखित नहीं		3200
				डीडीआर–3जीबी	मात्रा उल्लेखित नहीं		2600
				डीवीडी राईटर	मात्रा उल्लेखित नहीं		2400
				सॉउड कार्ड 2 जीबी	मात्रा उल्लेखित नहीं		970
				ग्राफिक कार्ड–2जीबी	मात्रा उल्लेखित नहीं		4400
				डिजीटल कैबिनेट	मात्रा उल्लेखित नहीं		3400
				एलईडी–15"	मात्रा उल्लेखित नहीं		5050
						योग	**32270**
					वैट 5**%** सम्मिलित		–
					कुल योग		**32270**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाऊचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर सिस्टम का क्रय हिमाचल प्रदेश के सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन खलीणी से करना अनिवार्य था लेकिन उक्त कम्पयूटर सिस्टम का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन खलीणी से न करके स्थानीय बाजार देहरा से बिना औपचारिकता पूर्ण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म

विशेष को अप्रत्याशित/लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए उक्त कम्पयूटर सिस्टम का क्रय उच्च दरों पर किया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर सिस्टम की क्रय दरों की तुलना हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स, खलीणी की क्रय दरों से करने उपरान्त, किसी भी अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन के माध्यम में क्रय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए कम्पयूटर सिस्टम की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई जिस के अभाव में क्रय किए गए कम्पयूटर सिस्टम के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित स्टॉक प्रविष्टियॉ करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

36 <u>₹46759/– के बिल/वाऊचर अभिलेख में उपलब्ध न होनाः–</u>

दिनांक 31.5.11 को मैसर्ज शहीद वी0एस0 फिलिंग स्टेशन, देहरा को डीजल की आपूर्ति करने पर ₹46759/– का भुगतान किया गया लेकिन उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके के अभाव में ₹46759/– के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह गम्भीर अनियमितता है। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

37 <u>₹2827642/– की स्ट्रीट लाईट के बिलों के रूप में दिनांक 31.3.13 को देयता राशिः–</u>

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.13 को स्ट्रीट लाईट के बिलों के रूप में ₹2827642/– भुगतान करने हेतु शेष है। इतनी अधिक राशि भुगतान हेतु शेष होना नग्रर पंचायत देहरा की वित्तीय स्थिति दयनीय होने का स्पष्ट उदाहरण है। अपेक्षित राशि का बिजली भुगतान विभाग को करना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के अधिभार से आगामी समय में बचा जा सके।

38 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः—

नगर पंचायत देहरा में व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया है, जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है।

39 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करनाः—

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में मदवार व्यय को सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में किए गए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि सदन के अनुमोदन के बगैर किसी भी राशि को व्यय करना हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है। अतः वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस/सदन से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40 टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः—

वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 के दौरान नगर पंचायत देहरा में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों जिन हेतु टैण्डर आमन्त्रित किए गए प्रस्तुत सम्बन्धित टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है, जोकि पारदर्शिता नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः तुरन्त प्रभाव व वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 हेतु टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः—

वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में निर्माण कार्यों के बिलों से जो प्रतिभूति राशि काटी है। इससे सम्बन्धित प्रतिभूति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। प्रतिभूति रजिस्टर के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि किस कार्य के भुगतान से किस

संविदाकार से कितनी प्रतिभूति राशि, किस बिल से कब–2 काटी गई है व निर्धारित समयावधि उपरान्त ही वापिस की गई है। अतः प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 हेतु प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

42 टैलीफोन रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा टैलीफोन रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है यह अनियमित है। अतः तुरन्त प्रभाव से टैलीफोन रजिस्टर तैयार करके, टैलीफोन बिलों के भुगतानों की प्रविष्टियां करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

43 बिजली रजिस्टर तैयार न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा बिजली बिलों की भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार बिजली रख रखाव रजिस्टर तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

44 (क) संविदाकार वही तैयार न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा संविदाकार वही तैयार नहीं की गई है। अतः तुरन्त प्रभाव से संविदाकार वही तैयार करके उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.13 को ₹424706/– को अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेषः–

दिनांक 31.3.13 को ₹424706/– अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु शेष है। उक्त असमायोजित अग्रिम राशियों में से ₹416153/– विभिन्न फमों, ठेकेदारों व विभागों को निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम दिए गए है व शेष ₹85532– नगर पंचायत कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई है। उक्त असमायोजित राशियो में से अधिकतम 9 से 12 वर्ष पुराने है। गत कई वर्षों के अग्रिमों का समायोंजन न होना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है व उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता बारे गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण

प्रतिवेदन के पैरा–39 पर भी आपत्ति उठाई गई है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा दो वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

45 जी–8 रसीदों पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत न करनाः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या 01/63/06–यू0डी0 (ऑडिट)–बी0ओ0एल0–1–12812, दिनांक 15.11.2006 के अनुसार "प्रत्येंक नगर पंचायत/पालिका समय–2 पर प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित करेगी कि नगर पंचायत/पालिका के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जी–9 हस्ताक्षरित की जाएगी।" परन्तु आश्चर्यजनक तथ्य है कि नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र में विहित आदेशों के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्राधिकृत नहीं किया गया है और न ही उक्त पत्र के अनुसार प्रत्येक जी–8 बुक पर यह प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि "रसीद बुक में कितनी रसीदें हैं" इसके अतिरिक्त प्रयोग हो चुकी जी–8 पर आवश्यक प्रमाण पत्र कि "इस खरीद बुक के अन्तर्गत संग्रह की गई राशि का लेखांकन पूर्ण करने उपरान्त यह राशि पंचायत निधि में जमा करवा दी है" नहीं दिया जा रहा है जोकि उक्त पत्र के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व तुरन्त प्रभाव से उक्त पत्र में उल्लेखित सभी निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जाए, ताकि किसी भी प्रकार के गबन की आशंका पर रोका जा सके। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि जी–8 का स्टोर व स्टॉक जारी करने का कार्य नगर पंचायत देहरा में एक चौकीदार श्री राज कुमार को दिया है जोकि वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है। यद्यपि उक्त विषय को गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाया गया था लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बारे अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

46 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

47 **<u>निष्कर्ष</u> :—** लेखों के रख—रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े आडिट पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(23)-Fin(LAD)Vol-3-429-31 दिनांक, 15.01.2014 शिमला—171009.
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत :— **1.** निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2.

2. सचिव, नगर पंचायत देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ल0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला—171003

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "ङ" **पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में**

नगर पंचायत देहरा, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :–

(क) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/60 से 03/62</u>

1.	पैरा 7	अनिर्णीत

(ख) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 09/62 से 01/73</u>

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/78 से 03/82</u>

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
3.	पैरा 21 (8 बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा 21(सी)	अनिर्णीत
5.	पैरा 22	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 से 03/83</u>

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 9	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/85</u>

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत
3.	पैरा 13(xiii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 14(ix)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(xiii)	अनिर्णीत

(च) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88</u>

1.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
2.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13(x)	अनिर्णीत
6.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15(vii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 15(viii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/89</u>

1.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
4.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 12	अनिर्णीत
6.	पैरा 13(vi)	अनिर्णीत
7.	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 13(xvi)	अनिर्णीत
9.	पैरा 13(xix)	अनिर्णीत
10.	पैरा 13(xx)	अनिर्णीत
11.	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 15(v)	अनिर्णीत
13.	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत

(ज) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/91</u>

1.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
5.	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
12.	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
13.	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(28)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(29)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(39)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(47)	अनिर्णीत
18.	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
19.	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत
20.	पैरा 16(iv)	अनिर्णीत
21.	पैरा 16(vi)	अनिर्णीत

(झ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/95</u>

1.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत

5.	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(च)	अनिर्णीत
8.	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
9.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
10.	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12.	पैरा 10	अनिर्णीत
13.	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
14.	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
15.	पैरा 11(झ)	अनिर्णीत
16.	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
17.	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
18.	पैरा 11(त)	अनिर्णीत
18.	पैरा 11(ध)	अनिर्णीत
19.	पैरा 11(न)	अनिर्णीत
20.	पैरा 11(ब)	अनिर्णीत
21.	पैरा 12	अनिर्णीत
22.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
23.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
24.	पैरा 13(iv)	अनिर्णीत
25.	पैरा 13(vii)	अनिर्णीत

(ञ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/2004</u>

1.	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा 13	अनिर्णीत
3.	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
4.	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत

6.	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत
7.	पैरा 15	अनिर्णीत
8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 20	अनिर्णीत
10.	पैरा 21	अनिर्णीत
11.	पैरा 22	अनिर्णीत
12.	पैरा 23	अनिर्णीत
13.	पैरा 24	अनिर्णीत
14.	पैरा 25	अनिर्णीत
15.	पैरा 26	अनिर्णीत
16.	पैरा 27	अनिर्णीत
17.	पैरा 28	अनिर्णीत
18.	पैरा 29	अनिर्णीत
19.	पैरा 30	अनिर्णीत
20.	पैरा 31	अनिर्णीत
21.	पैरा 32	अनिर्णीत
22.	पैरा 34	अनिर्णीत
23.	पैरा 36	अनिर्णीत
24.	पैरा 38	अनिर्णीत
25.	पैरा 42(i)	अनिर्णीत
26.	पैरा 43	अनिर्णीत
27.	पैरा 44	अनिर्णीत
28.	पैरा 45	अनिर्णीत
29.	पैरा 46	अनिर्णीत
30.	पैरा 47	अनिर्णीत
31.	पैरा 48	अनिर्णीत
32.	पैरा 49	अनिर्णीत

(ट) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/04 से 03/07</u>

1.	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत
2.	पैरा 2(सी)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
5.	पैरा 4(1)(ए)	अनिर्णीत
6.	पैरा 4(1)(बी)	अनिर्णीत
7.	पैरा 4(1)(सी)	अनिर्णीत
8.	पैरा 4(i)(डी)	अनिर्णीत
9.	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
13.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 5(iv)(ii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
16.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17.	पैरा 7(ii)(1)	अनिर्णीत
18.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
19.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
20.	पैरा 8	अनिर्णीत
21.	पैरा 9	अनिर्णीत

(ठ) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/09</u>

1.	पैरा 2(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3(1)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 4(क)	अनिर्णीत

5.	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 4(ख)(2)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 4(ङ)(1)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 4(ङ)(2)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 4(च)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 4(झ)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 4(ञ)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 5(ङ)(1)	निर्णीत	(₹6747/– की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
21.	पैरा 5(ङ)(2)	निर्णीत	(₹4209/– की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
22.	पैरा 5(ङ)(3)	निर्णीत	(₹168/– की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
23.	पैरा 5(च)	निर्णीत	(₹506/– की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
24.	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत	
29.	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
31.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
32.	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
33.	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	

34.	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
35.	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
36.	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
37.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
38.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
39.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
40.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
41.	पैरा 8(क)(1)	अनिर्णीत
42.	पैरा 8(क)(2)	अनिर्णीत
43.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
44.	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
45.	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
46.	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/11

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8 (i)	अनिर्णीत	
5	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9 (i)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9 (ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	

15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत
18	पैरा 20	अनिर्णीत
19	पैरा 21	अनिर्णीत
20	पैरा 22 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा 22 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा 23	अनिर्णीत
23	पैरा 24	अनिर्णीत
24	पैरा 25	अनिर्णीत
25	पैरा 26	अनिर्णीत
26	पैरा 27	अनिर्णीत
27	पैरा 28	अनिर्णीत
28	पैरा 29	अनिर्णीत
29	पैरा 30	अनिर्णीत
30	पैरा 31	अनिर्णीत
31	पैरा 32	अनिर्णीत
32	पैरा 33	अनिर्णीत
33	पैरा 34	अनिर्णीत
34	पैरा 35	अनिर्णीत
35	पैरा 36 (i)	अनिर्णीत
36	पैरा 36 (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 37	अनिर्णीत
38	पैरा 38 (i)	अनिर्णीत
39	पैरा 38 (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 39	अनिर्णीत